क्रम संख्या–48 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 15 जून, 2020 ई0

ज्येष्ठ 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 156/XXXVI (3)/2020/27(1)/2020

देहरादून, 15 जून, 2020

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने "महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020" पर दिनांक 13 जून, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 7 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या : 7 वर्ष 2020)
(भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

महामारी रोग अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1897) को उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने के सन्दर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि, राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

धारा 2का संशोधन 2. महामारी रोग, अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1897) के उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने के संदर्भ में (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात निम्नवत खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात—

"(ग) महामारी की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक माल, सेवाओं तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा ऐसी अधिप्राप्ति की रीति"

धारा 3 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की पुरानी धारा 3 जो कि अध्यादेश संख्या 5 वर्ष 2020 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दी गयी है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—

"अपराध का संज्ञेय तथा जमानतीय होना तथा अपराध का शमन

(1)(i) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी भी विनियम या जारी किये गये किसी आदेश का उल्लंघन अथवा अवज्ञा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(ii) इस धारा के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होगा।

(iii) इस उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध की कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी धनराशि के भुगतान पर जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में विनिर्दिष्ट धनराशि, जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न होगी जो उस अपराध के शमन हेतु अधिरोपित की जा सकती है।

(iv) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अंतर्गत किया गया हो तो ऐसे अपराधी के विरूद्ध उस अपराध जिसके सम्बंध में ऐसा शमन किया गया है, कोई कार्यवाही अथवा अग्रेत्तर कार्यवाही न तो की जायेगी अथवा न ही जारी रखी जायेगी तथा अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।"

बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

No. 156/XXXVI(3)/2020/27(1)/2020
Dated Dehradun, June 15, 2020

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (**Uttarakhand Ordinance NO. 7 of 2020**)

As assented to by the Governor on 13 June, 2020.

The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020

[Uttarakhand Ordinance No. 7 of 2020]

Promulgated by the Governor in the Seventy-first year of the Republic of India

An

Ordinance

further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act No. 03 of 1897), in its application to the State of Uttarakhand;

WHEREAS, State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance -

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of section 2

2. In Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act No. 03 of 1897), in its application to the State of Uttarakhand; (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (2) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely-

"(c) Procurement of good, services and equipments necessary for prevention and control of the epidemic disease and the manner of such procurement."

Amendment of section 3

3. In the Principal Act, for old section 3 which is renumbered as sub-section (1) by Ordinance No. 5 of 2020, the following sub-section shall be substituted, namely--

"Offence to be cognizable and bailable and compounding of offence:

(1) (i) Whoever contravenes or disobeys any provision of this Act or any regulations or order made thereunder be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(ii) Every offence punishable under this section shall be cognizable and bailable.

(iii) An offence punishable under this sub-section may either before or after the institution of the proceeding, be compounded by such officer and on payment of such amount as the state government may, by notification, specify in this behalf:

Provided that the amount specified shall not, in any case, exceed the maximum amount of the fine which may be imposed for the offence so compounded.

(iv) Where the offence has been compounded under clause (iii) of sub-section(1), no proceeding or further proceeding shall be taken or continued against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith."

Baby Rani Maurya
Governor, Uttarakhand.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,
Secretary.

पी0एस0यू0(आर0ई0) 27 विधायी/211–2020–100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।